राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गणेश बनाम ओमप्रकाश 820/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.9.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश किये जाने हेतु एक अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अत: न्यायहित में अधिवक्ता अपीलार्थी को लिखित बहस पेश किये जाने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली पेश करने अधिवक्ता अपीलार्थी को लिखित बहस हेतु दिनांक 08/09/2025 को पेश हो।	
08.9.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की, जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ का पेश किया। विवादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा में रेस्पो. खातेदार है। अपीलार्थी की भूमि में से डामर रोड निकली हुई है एवं डामर रोड के दोनों तरफ अपीलार्थी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 18/04/2024 को राजीनामा हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/05/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि से अपीलार्थी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं अपीलार्थी को कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ख़ारिज फरमा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खसरा नम्बर के साथ रेस्पो. के खसरा नम्बर को शामिल करते हुए अन्तरिम	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गणेश बनाम ओमप्रकाश 820/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलमद का इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश गलत रूप से प्राप्त कर लिया था | अपीलार्थी के खसरा नम्बर से रेस्पो. का कोई सम्बन्ध नही है, हमारे खाते अलग-अलग है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से रेस्पो. के प्रार्थना पत्र को सुन कर ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज किया गया है | अपीलार्थी ने एक वाद रेस्पो. की भूमि बाबत अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश किया है, जिसमे भी कोई स्थगन अपीलार्थी के पक्ष में जारी नही किया गया है | अपीलार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर1195/902, 1196/902 स्थित ग्राम सिवार की आड़ में रेस्पो. को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग-उपभोग से वंचित करना चाहते है | यदि अपीलार्थी अपने मकसद में सफल हो गये तो रेस्पो. को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी | अपील गणेश, रामलाल व श्रीनारायण पुत्रान लादू के द्वारा प्रस्तुत की गयी है परन्तु अपील पर एकमात्र अपीलार्थी श्रीनारायण के हस्ताक्षर ही है | ऐसी सूरत में अपील चलने योग्य नही है | अत: अपील अपीलार्थी चलने योग्य नही होने से ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उभयपक्षों द्वारा बहस के माध्यम से उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो. की आराजी अलग-अलग खाते की आराजीयात है एवं प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु सीमा का जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान उपरान्त ही युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा सीमाज्ञान करवाने हेतु दोनों पक्ष स्वतंत्र है तथा विधि के प्रावधानों के अनुसरण में रेस्पो. को उनके खाते की भूमि के स्वतन्त्र उपयोग-उपभोग से वंचित रखा जाना प्रथमदृष्टया उचित नही समझा जाता है | चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण होना अभी शेष है | अत: उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है तथा न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये शीघ्रता से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

8/9/25

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर